

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 1 of 10

परिषद द्वारा निर्मित भवनों के मानक विस्तार मानचित्रों तथा भूखण्डों / भवनों पर प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुए एतद्वारा निम्न आदेश दिये जाते हैं :

(अ) अनुज्ञा हेतु आवेदन :

किसी भवन/ भूखण्ड पर निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्राप्त करने अथवा मानक विस्तार मानचित्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र (APD ANNEX 3.1.2) के अनुसार समस्त प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा सूचनायें, नियत शुल्क अदा करने की बैंक जमा रसीद सहित सम्बन्धित विशेषकार्याधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

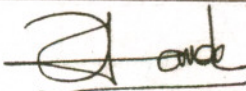
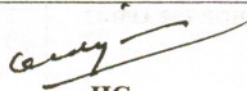
(ब) निर्धारित शुल्क की वर्तमान प्रचलित दरें निम्न हैं।

आवेदन पत्र (APD ANNEX 3.1.2) शुल्क = ₹0 01.00

(ब.1) परिषद द्वारा निर्मित भवनों के मानक विस्तार मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु अनुज्ञा शुल्क

भवन प्रकार शुल्क (₹0)

सर्विसेज भूखण्ड, साईट एण्ड	
सर्विसेज इकाई, दुर्बल आय वर्ग	10 / -
अल्प आय वर्ग	20 / -
मध्यम आय वर्ग	1000 / -
उच्च आय वर्ग, स्वयं वित्त पोषित	1500 / -

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 2 of 10

(ब.2) आवासीय निर्माण हेतु अनुज्ञा शुल्क

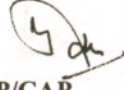
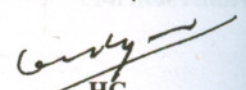
सभी तलों पर प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल (व०मी०)	शुल्क (रु०)
0 - 100	125.00
100 से अधिक व 200 तक	250.00
200 से अधिक	500.00

(ब.3) सार्वजनिक भवन जैसे चिकित्सालय, शैक्षिक, धार्मिक तथा दातव्य उपयोग के लिये अनुज्ञा शुल्क

सभी तलों पर प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल (व०मी०)	शुल्क (रु०)
150 तक	125.00
150 से अधिक	250.00

(ब.4) वाणिज्य व्यवसायिक तथा अन्य भवन जैसे दुकानें, कार्यालय गोदाम, भण्डार गृह, बैंक आदि हेतु निर्माण अनुज्ञा शुल्क

सभी तलों पर प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल (व०मी०)	शुल्क (रु०)
20 तक	250.00
20 से अधिक व 50 तक	500.00
प्रत्येक अतिरिक्त 50 तक	500.00

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 3 of 10

(ब.5) स्थल विकास हेतु ले-आउट स्वीकृति अनुज्ञा शुल्क

पहले एक हेक्टेयर तक के लिये रू0 2000/- तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त एक हेक्टेयर अथवा उसके भाग के लिये रू0 1000/-

स. आवंटी को उक्त वर्णित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त निर्माण जल व्यय शुल्क/ अम्बार (मलबा) शुल्क तथा पर्यवेक्षण शुल्क भी देय होगा जिसकी वर्तमान प्रचलित दरें निम्नानुसार हैं:

(जिन योजनाओं में जलापूर्ति स्थानीय जलसंस्थान को हस्तांतरित कर दी गयी है वहाँ पर निर्माण जल व्यय शुल्क जमा नहीं कराना है)

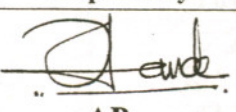
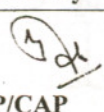
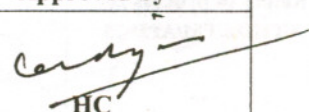
स.1 मानक विस्तार मानचित्र सम्बन्धी उक्त शुल्कों का निर्धारण आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है जिसकी भवन प्रकार के अनुसार विस्तृत जानकारी सम्बन्धित विशेष कार्याधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

स.2 आवासीय निर्माण हेतु शुल्क

क्रमांक	भवन टाइप	भूखण्ड का प्रकार	दर प्रति व0मी0 (कवर्ड एरिया)	
			निर्माण व्यय शुल्क	जल अम्बार (मलबा) शुल्क
1.	उच्च आय वर्ग	200व0मी0 से अधिक	40.60	20.30
2.	मध्यम आय वर्ग	100 व0मी0 से अधिक परन्तु 200 व0मी0 तक	39.90	19.95
3.	अल्प आय वर्ग	50 व0मी0 से अधिक परन्तु 100 व0मी0 तक	37.10	18.55
4.	दुर्बल आय वर्ग	50 व0मी0 तक भूखण्डों के क्षेत्रफल हेतु	33.30	16.65

नोट : 1 दुर्बल आय वर्ग भवनों एवं साइट एण्ड सर्विसेज इकाइयों हेतु निर्माण जल व्यय शुल्क तथा अम्बार (मलबा) शुल्क में शत प्रतिशत छूट है

2. अल्प आय वर्ग भवनों में निर्माण हेतु उक्त दरों का 50 प्रतिशत की दर से शुल्क देय होंगे।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 4 of 10

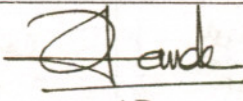
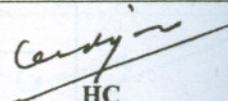
स.3 समस्त अनावासीय निर्माण हेतु शुल्क

दर प्रति वर्ग मी० कवर्ड एरिया

निर्माण जल व्यय शुल्क	अम्बार (मलवा) शुल्क
रु० 38.00	रु० 19.00

नोट : 2000 वर्गमी० से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिये यदि कोई निर्माणकर्ता/ विकासकर्ता यह शपथ-पत्र देता है कि वह अपनी भवन निर्माण सामग्री/ भूमिविकास से सम्बन्धित सामग्री निजी भूखण्ड, (निजी भूखण्ड से तात्पर्य ऐसे भूखण्ड से है जिसके विषय में उसके पक्ष में बैनामा अथवा पट्टा हो या उसका उत्तराधिकारी हो) पर ही रखेगा तो ऐसे प्रकरण में निर्माणकर्ता/विकासकर्ता से निम्न शर्तों के साथ अन्डरटेकिंग देने पर अम्बार शुल्क से छूट दी जा सकेगी।

- (क) निर्माणकर्ता/ विकासकर्ता द्वारा सार्वजनिक स्थल/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग सामग्री अम्बार करने की दशा में वह सम्बन्धित अभिकरण द्वारा मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) सम्बन्धित अभिकरण की निधि में, माँग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एक मुश्त जमा करेगा
- (ख) उक्त (क) में वर्णित माँग पत्र का सम्यक अनुपालन न होने की स्थिति में सम्पूर्ण देयकों की वसूली राजस्व के बकाये की भाँति ही चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (ग) ऐसे अप्राधिकृत अम्बारण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 क के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि /भाग पर अतिक्रमण होने के कारण संज्ञेय अपराध होंगे। दोषियों के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by  AP	Reviewed by  SAP/CAP	Approved by  HC
--	--	---	--

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 5 of 10

पर्यवेक्षण शुल्क :

समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों हेतु पर्यवेक्षण शुल्क की दर रू0 5.00 प्रति वर्ग मीटर कवर्ड एरिया होगी।

नोट : 100 वर्गमी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु पर्यवेक्षण शुल्क देय नहीं है

(द) मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया

द-1 मानक विस्तार मानचित्र प्राप्ति हेतु

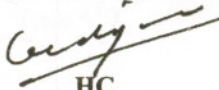
समस्त प्रपत्रों तथा निर्धारित शुल्क की जमा रसीद सहित आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित विशेषकार्याधिकारी द्वारा इनका परीक्षण कर, किसी प्रकार की कमी/आपत्ति न होने पर वांछित विस्तार मानचित्र स्वीकृत कर निर्गत करा दिया जायेगा।

द-2 आवासीय सम्पत्तियों हेतु मानचित्र स्वीकृति

समस्त प्रपत्रों तथा निर्धारित शुल्क की जमा रसीद सहित मानचित्र की निर्धारित प्रतियाँ परिषद भवन निर्माण उपविधि-2000 के प्रस्तर 3.1.2.1 से 3.1.2.4 के अनुसार तैयार कर आवेदन करना होगा।

मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण परिषद उपविधि-2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा निम्न बिन्दु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

- एकल आवासीय भवनों में अधिकतम ऊँचाई मंजिल अनुमन्य है यदि किसी भवन में बेसमेन्ट प्रस्तावित किया जाता है तो बेसमेन्ट के ऊपर भूतल, प्रथम तल ही अनुमन्य होगा एवं बरसाती तल को अनुमन्य नहीं किया जायेगा (जीने के ऊपर मात्र ममटी ही अनुमन्य की जायेगी) परन्तु जिन भवनों में बेसमेन्ट प्रस्तावित नहीं है उनमें भूतल, प्रथम तल एवं ममटी सहित बरसाती तल अनुमन्य होगा।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

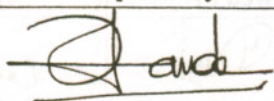
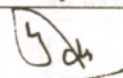
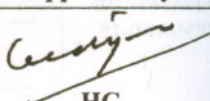
	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 6 of 10

- ii) 1000 वर्गमी० से अधिक व 2000 वर्गमी० तक के क्षेत्रफल के भूखण्ड एकल आवासीय भवन की श्रेणी में शामिल किये जाने के फलस्वरूप इनका परीक्षण शासनादेश सं० 553/9-आ-1-29 विविध /98 (आ.ब. दि० 25-1-03 (फोटो प्रति संलग्न०) के आधार पर किया जायेगा
- iii) उक्त परीक्षणों के आधार पर किसी भी कमी/ आपत्ति की दशा में आवंटी को लिखित रूप में तदनुसार सूचित कराया जायेगा,
- iv) आवंटी द्वारा समस्त आपत्तियों/ कमियों के निराकरण उपरान्त प्रस्तुत किये गये मानचित्र को स्वीकृत कर आवंटी को उपलब्ध करा दिया जायेगा,

द-3 अनावासीय तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु मानचित्र स्वीकृति

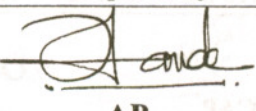
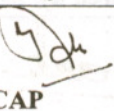
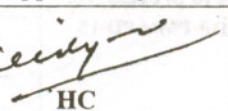
15 मी० से कम ऊँचाई के निर्माण हेतु समस्त प्रपत्रों तथा निर्धारित शुल्क की जमा रसीद सहित मानचित्र की 4 प्रतियाँ तथा 15 मी० से अधिक ऊँचे भवनों हेतु मानचित्र की 6 नग प्रतियाँ परिषद भवन निर्माण उपविधि- 2000 के प्रस्तर 3.1.2.1 से 3.1.2.4 के अनुसार तैयार कर आवेदन करना होगा। जमा किये गये प्रपत्रों के परीक्षण के साथ-साथ मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण परिषद उपविधि-2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। निम्न बिन्दु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

- i) 15 मी० तक की ऊँचाई के व्यवसायिक भवनों हेतु , जिनके निर्माण पैरामीटर्स में कोई अन्यथा निर्देश नहीं दिये गये हों, में प्रस्तावित बेसमेन्ट की गणना निश्चित रूप से एफ०ए०आर० के अन्तर्गत की जायेगी।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 7 of 10

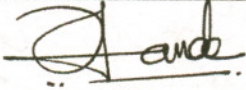
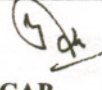
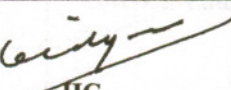
- ii) स्कूल के तल क्षेत्रफल के अन्तर्गत बेसमेन्ट अनुमन्य होगा किन्तु इसकी गणना एफ0ए0आर0 में की जायेगी
- iii) सुविधाजनक दुकानों के भूखण्ड हेतु केवल दो मंजिला निर्माण ही अनुमन्य होगा अर्थात् भूतल + प्रथम तल अथवा बेसमेन्ट + भूतल का निर्माण। निर्माण की अधिकतम ऊँचाई 7.00 मी० रहेगी,
- iv) नर्सरी / प्राइमरी स्कूल हेतु भवन की अधिकतम ऊँचाई 10 मी० रहेगी
- v) हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट संस्थाओं हेतु भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मी० रहेगी,
- vi) 300 व०मी० एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को दर्शाना होगा।
- vii) स्ट्रक्चरल सेफ्टी सम्बन्धी प्रपत्र /प्रमाण पत्र एवं डिजाइन उपलब्ध कराना होगा।
- viii) ऐसे मानचित्रों जिन पर अग्निशमन विभाग की अनापत्ति अपेक्षित हो सम्बन्धी भवनों की Planning/ Designing/ Construction – एन०बी०सी० के Part-iv (Fire Protection) के प्राविधानानुसार की जायेगी।
- ix) परिषद योजना सीमा से 500 मी० दूरी तक स्थित निजी भू-स्वामियों के मानचित्रों पर स्वीकृति तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा परिषद कोष में निर्धारित असुधार शुल्क जमा कर दिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 8 of 10

योजना सीमा के भीतर स्थित निजी भू-स्वामियों के प्रकरणों की स्थिति में परिषद द्वारा भूमि के अर्जनमुक्त / समायोजित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

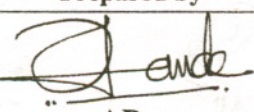
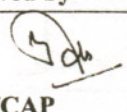
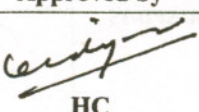
- x) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व भूखण्ड के विरुद्ध सम्पत्ति कार्यालय द्वारा प्रदत्त अध्यावधिक / पूर्ण भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा, गाजियाबाद स्थित सम्पत्तियों हेतु रजिस्ट्री का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
- xi) व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु भूतल के ऊपर व्यवसायिक के विकल्प के रूप में हल्के प्रयोजन जैसे- कार्यालय अथवा आवासीय प्रयोजन अनुमन्य किये जा सकते हैं
- xii) भूकम्प अवरोधी निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थान्तर्गत बेसमेन्ट , स्टिल्ट तथा ममटी को भी एक मंजिल माना जायेगा,
- xiii) बहुखण्डीय भवनों हेतु निर्धारित न्यूनतम सेटबैक में अन्डरग्राउन्ड टैंक/अन्य स्ट्रक्चर मान्य नहीं किया जाय।
- xiv) न्यूनतम निर्धारित सेटबैक में पार्किंग मान्य नहीं की जाय।
- xv) भूमि तल से ऊपरी तलों पर 400 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के लिये न्यूनतम दो स्टेयरकेसों का प्राविधान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
- xvi) अग्नि शमन हेतु स्टेयर केस की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि वह सीधे खुले स्थान में पहुँचे तथा साइड में खुली हो जिससे अग्नि प्रज्ज्वलन के समय वहाँ पर धुँए आदि का जमाव न हो सके।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 9 of 10

- xvii) भवन के चारों तरफ छोड़े जाने वाले न्यूनतम सेटबैक में सनशेड के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन मान्य नहीं होंगे।
- xviii) ग्राउन्ड तथा बेसमेन्ट रूफ लेवल में .9 से 1.2 मी० का जो अन्तर होता है उसमें वेंटीलेटर्स का प्राविधान अनिवार्य रूप से कराया जाय जिससे अग्नि प्रज्ज्वलन के प्रकरण में धुँआँ आदि बाहर जाने की व्यवस्था की जा सके।
- xix) आवंटी से एक विस्तृत अग्नि शमन रिपोर्ट मांगी जाय जिसमें भवन के स्ट्रक्चर , प्लानिंग एवं साइट में किये गये समस्त अग्नि शमन सुरक्षा के प्राविधानों का उल्लेख हो।
- xx) भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु निम्न विशेष प्राविधान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये जाँय।
- 1) 200 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल के बेसमेन्ट में न्यूनतम दो, पृथक स्टेयरकेस का प्राविधान हो जो बेसमेन्ट से मात्र भूमि तल तक जायेंगे।
 - 2) 200 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल के बेसमेन्ट में अग्नि शमन व्यवस्था का समुचित प्राविधान (In built) किया जाय।
 - 3) प्रत्येक स्थान से निकासी/ स्टेयर केस का न्यूनतम ट्रैवलिंग डिस्टेंस बेसमेन्ट में एन०बी०सी० के प्रस्तर 8.5.1 के अनुसार होगा।
 - 4) बेसमेन्ट में ट्रान्सफार्मर अथवा अन्य इस प्रकार की किसी मशीन/ इक्वूपमेन्ट आदि की स्थापना मान्य नहीं होगी।

उक्त परीक्षणों के आधार पर किसी भी कमी/ आपत्ति की दशा में आवंटी को लिखित रूप से तदनुसार सूचित कराया जायेगा।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by  AP	Reviewed by  SAP/CAP	Approved by  HC
--	--	---	---

	Office Order	Document No.: UPHDB./OO/ APD/1
	विषय: मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	Revision No.:
		Effective Date: 01-04-04
		Page 10 of 10

आवंटी द्वारा समस्त आपत्तियों/ कमियों के निराकरण उपरान्त प्रस्तुत किये गये मानचित्र को स्वीकृत कर आवंटी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

द-4 स्थल -विकास हेतु मानचित्र स्वीकृति

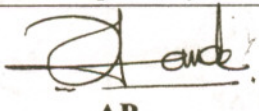
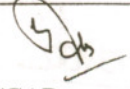
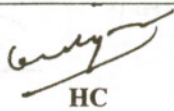
समस्त प्रपत्रों तथा निर्धारित शुल्क की जमा रसीद सहित मानचित्र की चार प्रतियाँ परिषद भवन निर्माण उपविधि-2000 के प्रस्तर 2.1.1 से 2.5.1 के अनुसार तैयार कर आवेदन करना होगा,

जमा किये गये प्रपत्रों के साथ-साथ मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण परिषद उपविधि-2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा,

इनके आधार पर किसी भी कमी / आपत्ति की दशा में आवंटी को लिखित रूप से तदानुसार सूचित कराया जायेगा,

आवंटी द्वारा समस्त आपत्तियों/कमियों के निराकरण उपरान्त प्रस्तुत किये गये मानचित्रों को स्वीकृत कर आवंटी को उपलब्ध करा दिया जायेगा,

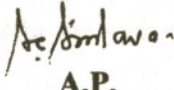
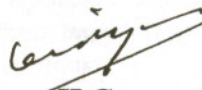
नोट : परिषद योजनाओं में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट को अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया जायेगा। इसी प्रकार अनाधिकृत निर्माणों को सील कराने की कार्यवाही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

Refers to process No. UPHDB/PM/APD-15	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 AP	 SAP/CAP	 HC

	कार्यालय आदेश	Document No.:	UPHDB./OO/A PD /18
	विषय: योजनाओं में औद्योगिक कार्यों के संबंध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page	1 of 1

परिषद की लखनऊ स्थित आवासीय योजनाओं में औद्योगिक कार्यों के सम्पादन के संबंध में निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :-

- १- योजनाओं के औद्योगिक कार्य सहायक निदेशक (उद्यान) के माध्यम से कराये जायें एवं इन कार्यों से सम्बन्धी स्वीकृति एवं भुगतान सहायक निदेशक (उद्यान) की अनुसंशा पर सम्बन्धित निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा ।
- २- योजनाओं के औद्योगिक निर्माण कार्य यथा पार्क की टो वाल, रैलिंग,ट्री गार्ड, सम्बन्धित निर्माण खण्डों के द्वारा कराये जायें एवं अपने अपने क्षेत्र में औद्योगिक कार्यों का पर्यवेक्षण खण्डों के अधिशासी अभियन्ता करेंगे ।
- ३- लखनऊ स्थित योजनाओं के औद्योगिक कार्यों के व्यय प्राक्कलन उद्यान निरीक्षकों द्वारा तैयार करके सम्बन्धित निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं के माध्यम से मुख्य वास्तुविद नियोजक को प्रेषित किये जायेंगे। मुख्य वास्तुविद नियोजक प्राप्त व्यय प्राक्कलों को सहायक निदेशक (उद्यान) द्वारा परीक्षण कराने के उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे ।

Prepared by	Reviewed by	Approved by
 A.P.	 C.A.P.	 H.C.

	WORK INSTRUCTION MANUAL		Document No.: UPHDB/WI/APD/1
	TITLE		Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction		Effective Date: 01-04-04
	Page	1 of 8	

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 की धारा 81 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के शमन हेतु शेड्यूल ।

अपराधों का शमन

शमन योग्य निर्माण से सम्बन्धित अपराध का शमन इस प्रतिबन्ध के साथ होगा कि अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध की अभ्युक्ति आगे गतिमान नहीं रखेगा तथा अशमनीय अवैध निर्माण उपरोक्त शमनीय अपराध का शमन करने के आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो तीन माह से अधिक होगी, समाप्त कर देगा अन्यथा उसके विरुद्ध पुनः अभियोजन की कार्यवाही हेतु परिषद स्वतन्त्र होगा ।

अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करना :

अवैध निर्माण तथा विकास कार्यों की अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने में परिषद या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि :-

- क्या निर्माण सेमी बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल या अनुवर्ती तलों पर किया गया है तथा अनुलग्न क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव है ।
- क्या बेसमेन्ट का निर्माण भवन में कुर्सी क्षेत्र से अधिक किया गया है यदि हाँ तो उसका प्रभाव ।
- क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है यदि हाँ तो उसका प्रभाव ।
- क्या निर्माण बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है यदि हो तो उसका प्रयोग ।
- क्या निर्माण रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट से बाधित है, यदि हाँ तो क्या उसके लिए अनुमति ली गयी है ।
- बेसमेन्ट के निर्माण से संलग्न सम्पत्तियों तथा विद्यमान सेवाओं पर प्रभाव ।

अपराध जो शमनीय नहीं है :

- निर्माण किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया गया हो ।
- ऐसे अपराध हो महायोजना या परिक्षेत्रीय योजनाओं में निहित भू-प्रयोग के विपरीत है ।

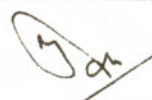
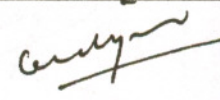
अपराध जो शमनीय हो सकते हैं :

अनुमन्य भू-आच्छादन अथवा तल क्षेत्रफल से अधिक अथवा सेटबैक के निर्माण करने की स्थिति में निम्नलिखित सीमा तक शमन की कार्यवाही की जायेगी :

- सामने के सेटबैक की चौड़ाई का 40% किन्तु अधिकतम 1.5 मी0 से अधिक निर्माण शमनीय न होगा ।
- पीछे के सेटबैक में अनुमन्य आच्छादन के अतिरिक्त 10% तक का निर्माण शमनीय होगा ।
- पार्श्व के सेटबैक में कुल क्षेत्र का 25% तक का निर्माण शमनीय होगा ।
- ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं कार्यालय निर्माण की योजनाओं में अनुमन्य भू-आच्छादन के अतिरिक्त भूतल पर अप्राधिकृत निर्माण, अनुमन्य भू-आच्छादन के 25% तक की सीमा तक ही शमनीय होगा ।
- सभी प्रकृति के निर्माण के लिए अनुमन्य अधिकतम तल आच्छादन का 10% तक ही निर्माण का शमन किया जायेगा ।

शमन शुल्क की अनुसूची :

भिन्न-भिन्न प्रकार से अनाधिकृत निर्माण कार्यों के शमन हेतु शुल्क की राशि संलग्न अनुसूची में अनुमन्य होगी । शमन उपरान्त मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा ।

	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Referred to process no. UPHDB/PM/APD/16	 A.P	 C.A.P	 H.C

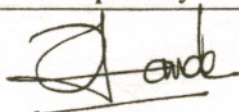
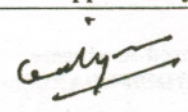
	WORK INSTRUCTION MANUAL	Document No.: UPHDB./WI/APD/1
	TITLE	Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction	Effective Date: 01-04-04
		Page 2 of 9

अनुसूची आवासीय

उपवसायिक

कार्पोरेट

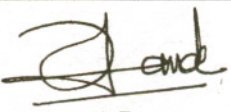
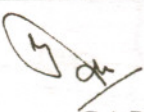
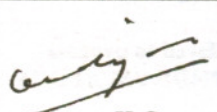
1	अनुमन्य भू-आच्छादन तल क्षेत्र तलानुपात के अर्न्तगत बिना अनुमति	1. 0.60 व०मी० प्लाट एरिया तक के भूखण्ड/भवनों पर शमन शुल्क सभी प्रकृति के निर्माण के लिए न्यनतम रू० 1000/- 2. 60-112.5 व०मी० प्लाट एरिया तक के भूखण्ड/भवनों पर शमन शुल्क सभी प्रकृति के निर्माण के लिए न्यनतम रू० 2000/- 3. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के निर्माण के लिए रू० 5000/- प्रत्येक 100 वर्ग मी० तल क्षेत्र या उसके भाग पर ।	तदैव तदैव तदैव	तदैव तदैव तदैव
2	अनुमन्य भू-आच्छादन के अर्न्तगत अतिरिक्त तल क्षेत्र, तलानुपात पर	200/- रुपये प्रति व.मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	400 रुपये प्रति व.मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	300/- रुपये प्रति व.मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत
3	अनुमन्य भू-आच्छादन से अतिरिक्त भू-आच्छादन पर अ- सेटबैक के प्रतिबन्धित भाग में ब- सामूहिक आवासीय योजना में प्रत्येक दिशा में स- अन्य भवन	भूमि के मूल्य का दो गुना तथा 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर तल आच्छादन पर		
4	सामने सेटबैक में	भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत तथा 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भू- मूल्य का दो गुना तथा 400/- रूपया प्रति वर्ग मी० भू-आच्छादन पर अतिरिक्त	भू मूल्य का डेढ़ गुना 350/-रूपया प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू आच्छादन पर
	2- पार्श्व सेट बैक	भूमि मूल्य का 75 पतिशत तथा 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत तथा 400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमि मूल्य का 112 प्रतिशत 300/-रुपये प्रति वर्ग मीटर

Referred to process no.UPHDB/PM/APD/16	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 A.P	 C.A.P	 H.C

	WORK INSTRUCTION MANUAL	Document No.: UPHDB./WI/APD/1
	TITLE	Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction	Effective Date: 01-04-04
		Page 3 of 8

अनुसूची

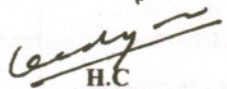
	3- पीछे के सेट बैक में	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत तथा 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत तथा 400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत तथा 300/- रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर
ब	सेटबैक के प्रतिबन्धित भाग के अतिरिक्त	भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा 200 रुपये प्रति वर्ग मी0 अतिरिक्त भू आच्छादन पर	भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत तथा 400 रुपये प्रति वर्ग मी0 अतिरिक्त भू आच्छादन पर	भूमि के मूल्य का 75 प्रतिशत तथा 300 रुपये प्रति वर्ग मी0 अतिरिक्त भू आच्छादन पर
4	अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त बेसमेन्ट के निर्माण पर	क्षेत्रफल का 400 रुपये प्रति वर्ग मी0 तथा भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत	क्षेत्रफल का 800 रुपये प्रति वर्ग मी0 तथा भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत	क्षेत्रफल का 600 रुपये प्रति वर्ग मी0 तथा भूमि के मूल्य का 75 प्रतिशत
5क	यदि कमरे की अतिरिक्त ऊँचाई विहित ऊँचाई से 10 प्रतिशत तक	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
ख	कमरे की ऊँचाई विहित ऊँचाई से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
6क	यदि कमरे की चौड़ाई विहित चौड़ाई से 10 प्रतिशत तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
ख	यदि कमरे की चौड़ाई विहित चौड़ाई से 10 प्रतिशत तक अधिक हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से

	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Referred to process no. UPHDB/PM/APD/16	 A.P	 C.A.P	 H.C

	WORK INSTRUCTION MANUAL		Document No.: UPHDB./WI/APD/1
	TITLE		Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction		Effective Date: 01-04-04
			Page 4 of 8

अनुसूची

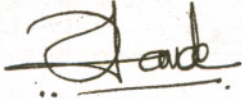
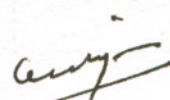
7क	यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
ख	यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
8क	यदि कमरे के प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
ख	यदि कमरे के प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
9	बिना स्वीकृत किया गया भू-विभाजन/विकास कार्य	भूमि मूल्य का एक प्रतिशत	भू मूल्य का 2 प्रतिशत	भू मूल्य का 1.5 प्रतिशत
10	भू विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य न हो	ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है, ऐसे मामलों में वह दरें जो उक्त कमांक-9 में निर्दिष्ट के दुगुने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित की जा सकती है। नोट: 1-उक्त प्रकृति के निर्माणों के अलावा अन्य अनाधिकृत निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देश के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गयी हो, परन्तु शमनीय हो एक सौ पचास रुपये (150) प्रति वर्ग मीटर तल आच्छादन की दर से लिया जायेगा। व्यवसायिक इसकी दुगुनी दरें ली जा सकेंगी तथा कार्यालय में 1.5 गुना दरें ली जा सकेंगी। 11 - ब्रमांक-3(क)के अन्तर्गत यदि निर्माण अनुमन्य भू आच्छादन के अन्तर्गत है किन्तु सेटबैक प्रभावित करता है, तो शमन हेतु दरें वही होगी जो कं0संख्या-3(क) में अंकित है। 111- सभी प्रकार के निर्माण के लिए अनुमन्य भू आच्छादन के अतिरिक्त उपविधि के अनुसार भू तल एवं अनुवर्ती तलों पर शमन हेतु लिए गये क्षेत्रफल की गणना एफ0ए0आर0 में नहीं की जायेगी, किन्तु शमन शुल्क उपविधि में निर्दिष्ट कमांक-3 में निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा।		

Referred to process no.UPHDB/PM/APD/16	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 A.P	 C.A.P	 H.C

	WORK INSTRUCTION MANUAL	Document No.: UPHDB/WI/APD/1
	TITLE	Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction	Effective Date: 01-04-04
		Page 5 of 8

टिप्पणी

- 1- अगर प्रार्थी द्वारा कोई लिखित आवेदन सुविधा प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाता है, तब नियमानुसार ध्वस्त की कार्यवाही की जायेगी ।
- 2- जहाँ फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति के पश्चात ही शमन करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।
- 3- भूमि का मूल्य कम्पाउण्डिंग के समय परिषद योजना हेतु मान्य भूमि दर होगा ।
- 4- सरकारी भूमि सड़क के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि तथा भू-उपयोग के विरुद्ध किसी भी प्रकार के निर्माण का शमन नहीं किया जायेगा ।
- 5- पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि के मूल्य का दो गुना प्रार्थी द्वारा देय होगा ।
- 6- शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं एवं दातव्य संस्थाओं हेतु शमन शुल्क आवासीय दर का 50 प्रतिशत होगा ।
- 7- व्यवसायिक भवनों हेतु शमन शुल्क की दरों का उल्लेख न हो, आवासीय दरों की दो गुनी होगी तथा कार्यालय भवनों हेतु आवासीय के डेढ़ गुनी एवं अन्य उपयोग/भवनों हेतु आवासीय दर के अनुसार होगी ।
- 8- अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शपथ-पत्र के अनुसार यदि अनाधिकृत निर्माण पक्ष द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो योजना हेतु निर्धारित भूमि दर का 17 प्रतिशत हर्जाना शुल्क वसूल किया जा सकता है तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा ।
- 9- शमन हेतु दाखिल किये गये सभी प्रकृति के निर्माण के लिए जिन पर परिषद अधिनियम 1965 की धारा-73 व 82 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी हो अथवा कोई भी ऐसा प्रमाण जिसे सक्षम अधिकारी उचित समझे उन पर तत्समय निर्धारित एफ0ए0आर0 शमन हेतु लागू होंगे ।
- 10- अनुसूची में अंकित दरों में शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार ही लिया जायेगा न कि प्रत्येक अनुवर्ती तलों पर ।
- 11- शमन शुल्क का भुगतान तीन माह में न किये जाने की दशा में आगामी तीन माह हेतु 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाना तथा अवधि में भुगतान न होने पर शमन निर्णय को स्वतः निरस्त माना जाना ।
- 12- परिषद में वर्तमान में अपनायी जा रही निम्न प्रक्रियाओं/आदेशों जिससे कि प्रस्तावित कम्पाउण्डिंग शेड्यूल विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है, की निरन्तरता बनाये रखना ।
 - (अ) साईड सेटबैक में जीने की लैंडिंग का अधिक से अधिक 0.9 मी0 चौड़ाई के प्रोजेक्शन की प्लिंथ से 2.0 मी0 ऊँचाई पर इस शर्त के साथ निःशुल्क कम्पाउण्ड किया जा सकता है कि लैंडिंग प्रोजेक्शन साईड सेटबैक की आधी चौड़ाई से अधिक न हो । इस प्रोजेक्टेड भाग को शत-प्रतिशत आच्छादित माना जायेगा ।
 - (ब) जो पोर्टिको बाउण्ड्रीवाल तक बनाये गये हो तथा लिटल पर ही निर्मित हो, को निःशुल्क कम्पाउण्ड किया जा सकता है , परन्तु इस प्रकार होने वाले अतिरिक्त कवरेज को शत-प्रतिशत आच्छादित माना जायेगा । पोर्टिकों के ऊपर किसी प्रकार के निर्माण की कम्पाउण्डिंग किसी भी दशा में नहीं की जायेगी ।
 - (स) बगल व पीछे के सेट बैक में केवल 0.6 मी0 प्रोजेक्ट वार्डरोब जो कि कमरे की चौड़ाई के 40 प्रतिशत तथा अधिकतम 1.5 मी0 तक चौड़ी हो, निःशुल्क कम्पाउण्ड किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त सेटबैक में किसी प्रकार के निर्माण में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी ।
 - (द) जिन भवनों में परिषद द्वारा स्वयं गैराज बनाकर आबंटियों को उपलब्ध कराये गये हैं अथवा जिन भूखण्डों में पूर्व प्रचलित 6.0 मी0 सेटबैक के आधार पर गैराज बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है उन्हें यदि आबंटी रिहायशी कमरे के रूप में प्रयोग करने की अनुमति चाहता है तब उसे निःशुल्क कम्पाउण्ड किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।
 - (क) उपरोक्तानुसार किये गये परिवर्तनों से यदि कवरेज नियमानुसार स्वीकृत कवरेज से बढ़ जाता है तो भवनों की कम्पाउण्डिंग में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जायेगी ।
- 13- कम्पाउण्डिंग शेड्यूल के किसी प्राविधान के संशय पूर्ण, अथवा पूर्णतया स्पष्ट न हो पाये जाने की दशा में आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय को अन्तिम माना जाये ।

Referred to process no. UPHDB/PM/APD/16	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 A.P	 C.A.P	 H.C

	WORK INSTRUCTION MANUAL	Document No.: UPHDB/WI/APD/1
	TITLE	Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction	Effective Date: 01-04-04
		Page.....6..... of.....8.....

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण विनियमावली 1982 के परिशिष्ट-1 के अनुसार कम्पाउंडिंग शुल्क की गणना तालिका सख्या-1

1. सम्पत्ति संख्या.....योजना.....नगर.....2 आवेदक का नाम.....
2. भवन मानचित्र स्वीकृत आदेश संख्या.....4. भूखण्ड/भवन का आबटित उपयोग-अ. आवासीय ब. व्यवसायिक स. अन्य
5. आवेदन की तिथि.....6. खण्ड से प्राप्त होने की तिथि7. गणना की तिथि
8. प्रचलित भूमि मूल्य/दर (गणना की तिथि पर) रू0.....

(अ) ऐसा अनाधिकृत निर्माण जिसके लिए कम्पाउंडिंग शुल्क में भूमि मूल्य भी सम्मिलित किया जाना है ।

कं0	अनाधिकृत निर्माण का विवरण	भू/अन्य तलों पर हुए अना0 निर्माण का कुल क्षेत्र(व0मी0)	कम्पाउंडिंग मूल्य		भूमि का मूल्य			कम्पाउंडिंग शुल्क
			दर/व0मी0	घनराशि रू0	क्षेत्र व0मी0	दर %	मूल्य रू0	
1	सामने के सेटबैक में निर्माण		200.00			100		
2	बगल के सेटबैक में निर्माण		200.00			75		
3	पीछे के सेटबैक में निर्माण		200.00			50		
4	अनुमन्य से अधिक आच्छादन		150.00			200		
5	अनुमन्य सीमा से अतिरिक्त बेसमेन्ट		150.00					

योग:-

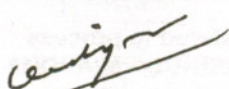
(ब) अवशेष अनाधिकृत निर्माण

क्र०	अनाधिकृत निर्माण का विवरण	भूतल/अन्य तलों पर हुए अना0 निर्माण का कुल क्षेत्र(व0मी0)	कम्पाउडिंग शुल्क दर (अनुमन्य)		कम्पाउडिंग शुल्क रू0
			10 % तक	10 % से अधिक	
1	कमरे की ऊँचाई निर्धारित से कम		50.00	100.00	
2	कमरे की चौड़ाई निर्धारित से कम		50.00	100.00	
3	कमरे की क्षेत्रफल निर्धारित से कम		50.00	100.00	
4	कमरे में निर्धारित वातायन उपलब्ध नहीं है		50.00	100.00	
5	निर्माण विनियम0/उपविधि के अनुरूप, पूर्व अनुमति बगैर/स्वीकृत मानचित्र से भिन्न		60 व0मी0तक भू0क्षे0 112.5 व0मी0तक भू0क्षे0 100 व0मी0 तल क्षेत्र पर	1000.00 2000.00 5000.00	
6			योग:-		
7	(अ),(ब) का कुल योग :-				

D/MAN

A.A.P

A.P.

Referred to process no.UPHDB/PM/APD/16	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 A.P	 C.A.P	 H.C

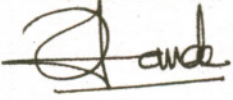
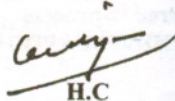
	WORK INSTRUCTION MANUAL	Document No.: UPHDB./WI/APD/1
	TITLE	Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction	Effective Date: 01-04-04
		Page 7 of 8

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा-81 के अर्न्तगत अनाधिकृत निमाण की कम्पाउण्डिंग से सम्बन्धित निर्णय से सम्बन्धित तालिका सं0-2

- 1- सम्पत्ति सं0- योजना- नगर-
- 2- सम्पत्ति का आबंटन प्रयोग आवासीय /
- 3- आबंटी का नाम
- 4 -निर्माण सत्यापन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- -पत्र संख्या- /अना0नि0 दिनांक
- 5- प्रस्तुतीकरण कार्यालय
- 6- निर्णय दिनांक
- 7- अनाधिकृत निर्माण का विवरण विश्लेषण तथा निर्गत तालिका :-

क्रमांक	अनाधिकृत निर्माण का प्रकार	कम्पा0योग्य क्षेत्र(व0मी0)	अनाधिकृत निर्माण का विवरण	कम्पाउंडिंग विश्लेषण	निर्णय	कम्पा0 शुल्क	विशेष विवरण
---------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	--------------	-------------

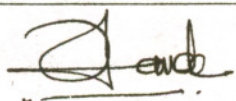
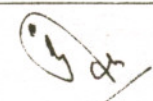
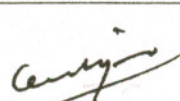
- 1-(क) सामने के सेटबैक में निर्माण ।
- (ख) बगल के सेटबैक में निर्माण ।
- (ग) पीछे के सेटबैक में निर्माण ।
- 2- सेटबैक के अतिरिक्त अन्य निर्माण ।
- 3- अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त बेसमेन्ट का निर्माण
- 4- भूखण्ड पर अनुमन्य आच्छादन से अधिक आच्छादन
- 5- कमरे की ऊँचाई निर्धारित से कम है ।
- 6- कमरे का क्षेत्रफल निर्धारित से कम है ।
- 7- कमरे की चौड़ाई निर्धारित से कम है ।
- 8- कमरे में निर्धारित वातायन उपलब्ध नहीं है ।
- 9- निर्माण विनियमावली तथा उपविधियों के अनुरूप । परन्तु प्रार्थी द्वारा इस निर्माण हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी
- 10- अन्य विवरण

	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Referred to process no.UPHDB/PM/APD/16	 A.P.	 C.A.P.	 H.C.

	WORK INSTRUCTION MANUAL	Document No.: UPHDB./WI/APD/1
	TITLE	Revision No.:
	Compounding of Unauthorized Construction	Effective Date: 01-04-04
		Page 8 of 8

सामान्य कम्पाउण्डिंग की प्रक्रिया

- 1- शमन मानचित्र सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में निम्न अभिलेखों/ मानचित्र सहित जमा होगा :
 - (क) राजपत्रित अधिकारी द्वारा नाम युक्त मोहर सहित सत्यापित [यथा आबंटन पत्र, कब्जा पत्र, इन्वेन्ट्री, साइट प्लान, रजिस्ट्री, पूर्व स्वीकृत मानचित्र व स्वीकृत पत्र (यदि पूर्व में स्वीकृत हुआ हो तो)]
 - (ख) मानचित्र जिसमें अनाधिकृत निर्माण के साथ पूर्ण निर्माण दर्शित हो की छः प्रतियाँ ।
 - (ग) आबंटी द्वारा हस्ताक्षरित कम्पाउण्डिंग हेतु सहमति पत्र ।
- 2- खण्ड कार्यालय द्वारा स्थल से मानचित्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन के उपरान्त समस्त अभिलेख व पाँच मानचित्रों की सत्यापित प्रतियाँ सम्बन्धित वास्तुकला इकाई / वृत्त कार्यालय को प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी ।
- 3- वास्तुकला/वृत्त कार्यालय में प्रकरण की जाँच सम्बन्धित मुख्य मानचित्रक/मानचित्रक द्वारा संलग्न तालिका सं०-1 के अनुसार की जायेगी ।
- 4- सम्बन्धित सहायक वास्तुविद नियोजक/सहायक अभियन्ता द्वारा तालिका सं०-1 की चेकिंग उपरान्त, कम्पाउण्डिंग निर्णय सम्बन्धित तालिका सं०-2 के अनुरूप अनाधिकृत निर्माण का प्रकार/क्षेत्रफल/विवरण/विश्लेषण एवं शुल्क की गणना कर उसे तालिका सं०-2 में भरकर सम्बन्धित वास्तुविद नियोजक/अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे । विवरण हेतु मानचित्र की दो प्रतियों में रंगों व हेचिंग द्वारा निर्माण की स्थिति स्पष्ट की जायेगी । तालिका सं०-1 व 2 तथा मानचित्र सहायक वास्तुविद नियोजक/वास्तुविद नियोजक अथवा सहायक अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रमाणित होगी । मानचित्र में यह भी प्रमाणित होगा कि " उक्त मानचित्र कम्पाउण्डिंग निर्णय का अभिन्न भाग है " ।
- 5- सम्बन्धित वा०नि०/अधी०अभि० तालिका सं०-2 में निर्णय अथवा विकल्प भरकर कम्पाउण्डिंग समिति की बैठक आयोजित कर समिति का निर्णय करायेगा । समिति के सदस्य सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता व सम्बन्धित वा०नि० होंगे । (आदेश संलग्न)
नोट:- 15 मी० से ऊँचे भवनों हेतु उच्च स्तरीय समिति (बहुमंजिले भवनों हेतु निर्धारित है) को वा०वा०नि० द्वारा प्रेषित कर निर्णय कराया जायेगा ।
- 6- समिति के निर्णयोंपरांत शमनित/स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र सं०-2 द्वारा लिए गये निर्णय तथा मानचित्र सहित एक-एक प्रति सम्बन्धित अधि०अभि० को वा०नि०/अधी०अभि० द्वारा प्रेषित कराया जायेगा ।
- 7- आबंटी को निर्णय से अवगत कराने हेतु सम्बन्धित अधि०अभि० शमनित हेतु निर्धारित प्रपत्र सं०-2 की प्रति के साथ पत्र द्वारा सूचित करेंगे । यदि आबंटी शमनित मानचित्र/गणना आदि देखना चाहे तो सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में ही उसे अवलोकित करा दिया जायेगा ।
- 8- आबंटी द्वारा शमन शुल्क जमा कर रसीद प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बन्धित अधि०अभि० बैंक की मूल रसीद सम्बन्धित वा०नि०/अधी०अभि० को भेजेंगे, तदोपरान्त स्वीकृति पत्र, निर्णय, गणना तालिकाओं तथा मानचित्र की एक-एक प्रति सम्बन्धित वा०नि०/अधी०अभि० इकाई में अभिलेख हेतु रखेंगे तथा शेष सम्पूर्ण पत्रावली विशेष कार्य अधिकारी (अधी०अभि०/वा०नि०) को अग्रिम स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु भेज दी जायेगी ।
- 9- वा०नि०इकाई में उपलब्ध अभिलेखों की एक-एक प्रति, रिकार्ड हेतु एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा जिसे प्रत्येक माह के अन्त में वा०नि० द्वारा चेक किया जायेगा तथा कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट वा०वा०नि० को भी अवलोकित कराई जायेगी ।

Referred to process no. UPHDB/PM/APD/16	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	 A.P	 C.A.P	 H.C